संख्या- 4/2019/5031/71-1-2018-जी-25/2013

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 04 जनवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, कन्नौज के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, कन्नौज के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2722/71-1-2013-जी-25/2013, दिनॉक 11-02-2014 द्वारा रू0 2,28,43,83,000/- (रू0 दो अरब अट्ठाइस करोड़ तैतालीस लाख तिरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 22843.83 लाख के सापेक्ष विभिन्न् शासनादेशों द्वारा कुल रू0 17960.74 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-2722/71-1-2013-जी-25/2013, दिनॉक 11-02-2014	1203.47
2	शासनादेश संख्या-873/71-1-14-जी-25/2013, दिनॉक 28-03-2014	1000.00
3	शासनादेश संख्या-9/2015/142/71-1-2015-जी-25/2013, दिनॉक 30-01-2015	2015.30
4	शासनादेश संख्या-58/2015/448/71-1-2015-जी-25/2013, दिनॉक 23-03-2015	742.35
5	शासनादेश संख्या-110/2015/910/71-1-2015-जी-25/2013, दिनॉक 07-05-2015	1181.85
6	शासनादेश संख्या-135/2015/1657/71-1-2015-जी-25/2013, दिनॉक 18-08-2015	318.15
7	शासनादेश संख्या-172/2015/2316/71-1-2015-जी-25/2013, दिनॉक 04-11-2015	500.00
8	शासनादेश संख्या-8/2016/2776/71-1-2015-जी-25/2013, दिनॉक 21-01-2016	1000.00
9;	शासनादेश संख्या-98/2016/1030/71-1-2016-जी-25/2013, दिनॉक 31-03-2016	821.47
10	शासनादेश संख्या-116/2016/1291/71-1-2016-जी-25/2013, दिनॉक 08-05-2016	7485.00
11	शासनादेश संख्या-16/2017/2814/71-1-2016-जी-25/2013, दिनॉक 28-01-2017	318.15
12	शासनादेश संख्या-41/2018/710/71-1-2018-जी-25/2013, दिनॉक 15-03-2018	875.00
13	शासनादेश संख्या-276/2018/4152/71-1-2018-जी-25/2013, दिनॉक 22-10-2018	500.00
	योग-	**17960.74**

2- आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2018-19/645, दिनॉक 02-01-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, कन्नौज के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3,18,15,000/- (रू0 तीन करोड़ अट्ठारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार व व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/कार्य में किया जाय, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी अन्य कार्य/मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- मात्राओं के निर्माण का समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी। इनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।
5- प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति की शर्तो तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/ महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7- महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- शासनादेश संख्या-2722/71-1-2013-जी-25/2013, दिनॉक 11-02-2014 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

10- उक्त अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-23-पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, कन्नौज-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:- 4/2019/5031 (1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज कन्नौज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।